प्रेस नोट दिनांक 28.05.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद- प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण – 02 अभियुक्त गिरफ्तार, जेवरात, नकदी, अवैध असलहे व विस्फोटक बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें गठित की गई थी।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया चौराहा ग्राम मदनगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी करने के उपकरण के साथ चोरी के एक मंगलसूत्र, 11 जोड़ी पायल, 18 जोड़ी बिछुआ, चोरी के ₹10,000 नगद एवं 2 तमंचा, 2 कारतूस व 4 देशी बम, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद की गई-

दिनांक 25.05.2025 की रात्रि को थाना लालगंज क्षेत्र के ग्राम कौडियागंज व ग्राम पूरे रामन मजरे मेढांवा में अज्ञात चोरों द्वारा घरों में सेंध लगाकर गहने, नगदी व बर्तन चोरी किए गए। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण- 01. दिनांक 25.05.2025 की रात्रि को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कौडियागंज में अज्ञात चोर द्वारा छत के दरवाजे को तोड़कर गहने, नगदी चोरी कर ले गये थे। जिसके संबंध में वादी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

02. दिनांक 25.05.2025 की रात्रि को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे रामन मजरे मेढांवा में वादी के घर के पीछे की दीवाल तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा गहने, बर्तन और पैसे चोरी कर लिये थे। साथ ही वादी के पडौसी के घर में चोरी हुई थी। जिसके संबंध में वादी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2025 धारा 305, 331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत घटित चोरी की गंभीर घटनाओं के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा स्थानीय पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। निर्देशों के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना की गहन जांच प्रारंभ की गई तथा हरसंभव प्रयास करते हुए अज्ञात चोरों की पहचान एवं उन्हें प्रकाश में लाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा था।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लालगंज श्री नीरज कुमार के नेत्तृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र राम, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह कां० दुर्गा यादव, कां0 योगेश कुमार, कां0 गणेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/2025 धारा 305/331 (4) बीएनएस व मु0अ0सं0 193/2025 धारा 305/331(4) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 1- अमृतलाल पुत्र जियालाल उम्र करीब 25 वर्ष नि0ग्राम डिहवा सराय जगत सिंह थाना

लालगंज, प्रतापगढ़, 2- अनिकेत पटेल पुत्र संतोष उर्फ छंगू पटेल उम्र करीब 24 वर्ष नि0ग्राम कटरा दुग्धा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत नहर पुलिया चौराहा ग्राम मदनगढ़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु का 01 मंगलसूत्र, कुल 11 जोड़ी सफेद धातु की पायल, कुल 18 जोड़ी पैर का विछुआ सफेद धातु एवं चोरी के 10000/- रुपये नगद, 02 अदद पिटू बैग में चोरी करने के उपकरण बरामद किये गए, उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद कारतूस 315 बोर 04 अदद देशी जिंदा बम बरामद किया गया है। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज मे◌े◌ं मु0अ0सं0 195/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त बरामद घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिलो को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अमृतलाल पुत्र जियालाल उम्र करीब 25 वर्ष नि0ग्राम डिहवा सराय जगत सिंह थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

2 . अनिकेत पटेल पुत्र संतोष उर्फ छंगू पटेल उम्र करीब 24 वर्ष नि0ग्राम कटरा दुग्धा, थाना लालगंज, प्रतापगढ़

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगो के पास से जो जेवरात बरामद हुये है, वह दिनांक 25.05.2025 की रात में हम लोग व हमारे भागे हुये अन्य तीन साथियों ने मिलकर मेढावा गाँव के रमन का पुरवा मे तीन घरो से सेंध काटकर चोरी किये थे। गाँव के लोगो के जग जाने पर बक्शा व दूसरे सामान उनके घरो के पीछे कुछ दूरी पर खेत मे छोड़कर भाग गये थे।

हम दोनो के पास से जो रूपये बरामद हुये है वह दिनांक 26.05.2025 की रात्रि में ग्राम कौड़ियाडीह में 01 घर से अपने भागे हुये तीनो साथियो के साथ चोरी किये थे। दोनो जगहो की चोरियो से प्राप्त शेष गहने, बरतन व पैसे हमारे भागे हुये तीनो साथियो के पास है।

चोरी करने के बरामद उपकरणो के बारे मे बताया कि इन्ही हथियारो से हम सेंध काटते है तथा ताला आदि तोड़कर घर मे घुसने का रास्ता बनाते है। बरामद बम और तमन्चा कारतूस बताया कि यदि कोई हमे पकड़ने की कोशिश करे तो उन्हे डराने धमकाने के लिए अपने पास रखे रहते है।

बरामदगी- 01. पीली धातु का 01 मंगलसूत्र, कुल 11 जोड़ी सफेद धातु की पायल, कुल 18 जोड़ी पैर का विछुआ सफेद धातु

02. चोरी के 10000/- रुपये नगद, 02 अदद पिटू बैग में चोरी करने के उपकरण

03. 02 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद कारतूस 315 बोर 04 अदद देशी जिंदा बम

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

उ0नि0 राजेन्द्र राम, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह कां० दुर्गा यादव, कां0 योगेश कुमार, कां0 गणेश यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन

हत्या का प्रयास, गाली गलौज व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानीगंज पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत भैसौना प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 22/04/2025 को पुरानी रंजीशन एवं जमीन विवाद को लेकर गाँव के ही विपक्षीगणों द्वारा एक राय होकर हाथ में लाठी-डण्डा लेकर गाली-गलौज करते हुए वादी के लड़के पर जान से मार डालने की नियत से हमला करना एवं जान से मार डालने की धमकी देना। जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 121/2025 धारा 191 (2)/190/115(2)/352/351(3)/109(1) बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 राकेश चौरसिया, उ0नि0 राजनाथ यादव, हे0का0 गंगासागर जी व हे0का0 कमलेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0स0 121/2025 धारा धारा 191 (2)/190/115(2)/352/351(3)/109(1)/117(2) BNS में वांछित अभियुक्त 1. मो0 अरमान पुत्र मो0 शकील निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष हाल पता ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत भैसौना प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो0 अरमान पुत्र मो0 शकील निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष हाल पता ग्राम विष्णुपुर कला थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह उ0नि0 राकेश चौरसिया, उ0नि0 राजनाथ यादव, हे0का0 गंगासागर जी व हे0का0 कमलेश यादव थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में,

थाना रानीगंज के उ0नि0 साधूराम मय हमराह हे0कां0 राजेश कुमार गुप्ता द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0 1621/09 अ0सं0 246/90 धारा 324, 323, 336, 504 भादवि थाना रानीगंज से संबंधित वारंटी अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र राम अधार निवासी ग्राम खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में थाना रानीगंज के उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह हे0कां0 गंगासागरजी द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0 4964/04 अ0सं0 72/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना रानीगंज से संबंधित वारंटी अभियुक्त वंशीलाल पुत्र रामगरीब निवासी ग्राम भैसौना थाना रानीगंज प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण- 1. राकेश कुमार पुत्र राम अधार निवासी ग्राम खमपुर दूबेपट्टी थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

2. वंशीलाल पुत्र रामगरीब निवासी ग्राम भैसौना थाना रानीगंज प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 साधूराम मय हमराह हे0कां0 राजेश कुमार गुप्ता थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

उ0नि0 राजनारायण यादव मय हमराह हे0कां0 गंगासागरजी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह कां0 नन्दकिशोर द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर अ0सं0 83/91 धारा 447, 448, 504, 506 भादवि थाना आसपुर देवसरा से संबंधित वारंटी अभियुक्त माताप्रसाद उर्फ राजा पुत्र बरसाती निवासी ग्राम रत्तीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- माताप्रसाद उर्फ राजा पुत्र बरसाती निवासी ग्राम रत्तीपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- उ0नि0 राजन कुमार बिन्द मय हमराह कां0 नन्दकिशोर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।